आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *JaipurCity/203/2017-19*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 14 अंक 10 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 25 मई, 2017 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु. Website: www.nyayikjwala.org.

महाधिवक्ता की दलील

सुप्रीम कोर्ट के उपचारात्मक क्षेत्राधिकार पर तुरन्त पुनर्विचार की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट द्वारा केन्द्र सरकार की याचिका, जिसमें सेना में मुठभेड़ में हुई मौतों के लिए मुकदमों से छूट प्रदान करने की प्रार्थना थी, को खारिज करने के एक दिन बाद ही महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के उपचारात्मक क्षेत्राधिकार पर पुनर्विचार को पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया तथा इसे ''पक्षपाती एवं त्रुटिपूर्ण'' बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने उपचारात्मक क्षेत्राधिकार का प्रतिपादन 2002 में रूपा अशोक हुर्रा के मामले में दिये गये आदेश में किया था जिसके अन्तर्गत कोई भी पक्षकार, अंतिम विकल्प के रूप में, पुनर्विचार की याचिका के खारिज होने के बावजूद भी प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन एवं पूर्वाग्रह के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पुनर्विचार की याचिका पर न्यायाधीशों के कक्ष में विचार किया जाता है जहां खंडपीठ में तीन वरिष्ठतम जजों के अलावा वो जज भी शामिल होते हैं जिन्होंने निर्णय दिया था।

श्री रोहतगी ने उपचारात्मक याचिका के पक्षपाती एवं त्रुटिपूर्ण होने के तीन आधार बताये। उन्होंने कहा कि यदि वो जज जिन्होंने पुनर्विचार याचिका को खारिज किया है वो भी उस खंडपीठ का हिस्सा होते हैं जिसमें उपचारात्मक याचिका सुनी जाती है तो यह स्पष्ट है कि परिणाम पुनर्विचार याचिका जैसा ही होने की संभावना है। यदि वास्तव में निर्णय पर पुनर्विचार की नियत हो तो उपचारात्मक याचिका को उस खंडपीठ के समक्ष रखा जाना चाहिये जिसमें वो जज शामिल नहीं हों जिन्होंने पहले निर्णय दिया था।

महाधिवक्ता ने उपचारात्मक याचिका में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को भी त्रुटिपूर्ण बताया। न्यायाधीश के कक्ष में होने वाली कार्यवाही सबके सामने सार्वजनिक रूप से न्याय प्रदान करने के सिद्धान्त के विरुद्ध है। भारत में न्यायालय की कार्यवाही आम जनता के लिए खुली है केवल कुछ अपवादस्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर।

तीसरी कमी यह है कि याचिकाकर्ता को खंडपीठ के सामने अपने वकील को ले जाने का प्रावधान नहीं है।''हुर्रा निर्णय के द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है अत: इस पर तुरन्त विचार आवश्यक है।''

इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस निर्देश को सही ठहराया था जिसके अन्तर्गत एएफएसपीए वाले क्षेत्रों में सैनिकों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज करवाया जाना आवश्यक है यदि कोई मौत मुठभेड़ में हुई है। यद्यपि केन्द्र सरकार ने यह तर्क दिया था कि इस आदेश से ऐसे क्षेत्रों में शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने में समस्याएं आयेंगी।

बिना विधिक अधिकारियों की उपस्थिति में, न्यायिक कक्ष में हुई सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, जे. चेलमेश्वर, मदन बी. लोकुर तथा यू.यू. ललित ने केन्द्रीय सरकार की उपचारात्मक याचिका को खारिज कर दिया था जो पिछले वर्ष

न्यायपालिका एवं सरकार की शक्तियां

कानून के हाथ लम्बे जरूर कहे जाते हैं, लेकिन पथभ्रष्ट हुए अपने रखवालों (कदाचार के दोषी न्यायाधीशों) पर कार्रवाई करने में ये अक्सर छोटे पड़ जाते हैं। आज तक भी कदाचार के दोषी न्यायाधीशों पर कार्रवाई का पुख्ता कानूनी तंत्र नहीं है। सरकार के पास कार्रवाई का अधिकार नहीं है। उसके हाथ संविधान से बंधे हैं। संविधान में जजों को पद मुक्त करने का अधिकार संसद को दिया गया है, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कभी सिरे न चढ़ सकी। पिछली सरकार ने न्यायाधीशों के आचारण को कानून में बांधने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक अपने आप समाप्त हो गया। मौजूदा सरकार ने इस पर नए सिरे से कानून लाने की बात कही है।

ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में सरकार गिराना आसान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को पद से हटाना मुश्किल। महाभियोग के जरिये संसद से भी कोई न्यायाधीश तभी पदमुक्त किया जा सकता है, जबकि उस पर जांच में कदाचार का दोष साबित हो गया हो। सरकार ने पहला प्रयास न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया बदलने को लेकर किया और वो एनजेएसी कानून लाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून को न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधक मानते हुए निरस्त कर दिया। पुरानी व्यवस्था फिर बहाल हो गई। हालांकि, नियुक्ति व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नई नियुक्ति प्रक्रिया (मैमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) तैयार हो रहा है। सरकार दो बार एमओपी का ड्राफ्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश को मंजूरी के लिए भेज चुकी है, पर कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है। मौजूदा व्यवस्था में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पर होती है। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता।

न्यायाधीशों की नियुक्ति की तरह ही उनके खिलाफ कार्रवाई में भी सरकार का कोई दखल नहीं है। किसी न्यायाधीश के खिलाफ कदाचार की शिकायत पर न्यायपालिका जांच की इन हाउस प्रक्रिया अपनाती है, जिसमें जजों की कमेटी आरोपों की जांच करती है और अपनी सिफारिश मुख्य न्यायाधीश को सौंपती है। अगर रिपोर्ट में न्यायाधीश कदाचार का दोषी पाया जाता है तो मुख्य न्यायाधीश उससे इस्तीफा देने को कह सकते हैं, लेकिन कानूनी बाध्यता न होने के कारण आरोपी न्यायाधीश अड़ जाते हैं। संसद द्वारा पदमुक्त करने के लिए संसद की तय प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जजेज इन्क्वायरी एक्ट का पालन होता है। जज को हटाने के लिए कदाचार का दोष साबित होना चाहिए जिसकी जांच के लिए सदन फिर से जांच कमेटी गठित करता है और नए सिरे से लम्बी प्रक्रिया शुरू होती है। आरोप हल्के होने पर कोलेजियम की सिफारिश पर आरोपी जज का स्थानांतरण हो सकता है। संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आरोपी का कामकाज वापस लेने को कहा जा सकता है, लेकिन कानूनन हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का वैसा प्रशासनिक अधिकार नहीं है, जैसा निचली अदालतों पर हाई कोर्ट का होता है। यह स्थिति बताती है कि जजों का आचरण नियंत्रित करने के लिए ऐसे कानून की जरूरत है जिसमें जांच और कार्रवाई का पूरा तंत्र हो। जैसा कि यूपीए द्वारा प्रस्तावित न्यायिक मानक और जवाबदेही कानून में था। हालांकि, अभी भी न्यायाधीशों की आचार संहिता है जिसमें नैतिक मूल्य तय हैं, लेकिन उसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

कैसा हो कानून : जजों का आचरण नियंत्रित करने के लिए कानून लाने पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कहते हैं कि इस क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों और सभी संबंधित पक्षों से व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए।

इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि कानून से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित न हो। वे कहते हैं कि नए कानून की प्रक्रिया जल्द से जल्द बल्कि कल से शुरू हो जानी चाहिए। वकील ज्ञानंत सिंह कहते हैं कि पूरी प्रक्रिया को मान्यता देनी होगी। जिसमें कहा जाए रिमूवल एंड एक्शन अगेन्स्ट जजेज। कानून में पद से हटाने के अलावा भी दंड निर्धारित होने चाहिए, जो कम गंभीर अपराध में दिए जाएं। जैसे कोलेजियम को अधिकार दे दिया जाए कि जांच पूरी होने तक आरोपी व्यक्ति जज तो रहेंगे लेकिन कोर्ट में नहीं बैठेंगे। ऐसे न्यायाधीशों को घर बैठाने की पावर होनी चाहिए ताकि महाभियोग की कार्रवाई फेल होने के बावजूद न्यायपालिका की गरिमा बरकरार रहे। आरोपी से अगर काम वापस ले लिया जाता है तो उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसमें चेतावनी देना व स्थानांतरण का दंड भी शामिल होना चाहिए।

2010 के जवाबदेही विधेयक की खास बातें

1. आम आदमी को भी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार दिया गया था।
2. जजों उनकी पत्नी और आश्रितों की संपत्ति घोषणा का प्रावधान था।
3. न्यायपालिका द्वारा अपनाई गई आचार संहिता यानी नैतिक मूल्यों को कानूनी जामा पहनाया गया था।
4. न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायत और जांच का पूरा तंत्र था।
5. अगर अपराध पद से हटाने लायक नहीं है, कम गंभीर है तो आरोपी को सलाह और चेतावनी दी जाती।
6. पद से हटाने लायक गंभीर कदाचार साबित होने पर ओवर साइट कमेटी राष्ट्रपति से जज को हटाने की सिफारिश कर सकती थी।
7. जज के खिलाफ शिकायत झूठी पाए जाने पर शिकायतकर्ता दंडित हो सकता था।
8. जज के खिलाफ जांच गोपनीय रखी जाती।

सम्पादकीय ....

लालू प्रसाद की दहाड़

अभी हाल ही में सरकार ने भ्रष्ट राजनेताओं पर कठोर कार्यवाही का निर्णय लिया है और उसकी पालना में सीवीआई, आयकर विभाग एवं इडी ने बड़े पैमाने पर छापे, एफाआईआर एवं अन्य कार्यवाही शुरू कर दी है। अभी हाल ही में लालू प्रसाद यादव, पी. चिदम्बरम, के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापे डाले गये हैं वहीं दूसरी ओर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हूडा पर सीवीआई का शिकंजा तेज हो गया है वहीं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भी कार्यवाही जारी है। देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। सोनिया, राहुल गांधी और उनके दामाद वाड्रा पर भी कार्यवाही की जा रही है। राजनैतिक दलों का हमेशा की तरह का बयान कि यह सब राजनीति बदले की भावना से हो रही है, सरकार सीबीआई व अन्य विभागों का दुरुपयोग कर रही है आदि आदि।

सबसे अधिक आक्रामक लालू प्रसाद यादव हो रहे हैं जिन्हें 900 करोड़ के चारा घोटाले में पहले ही सजा हो चुकी है।

राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश का बंटवारा करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके जीवित रहते ऐसा हरगिज नहीं होगा और वह वर्ष 2019 में मोदी सरकार रूपी लंका को भस्म कर देंगे।

यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने खास अंदाज में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केन्द्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए लिखा ''अमित शाह जब जेल में थे तो मोदी फोन पर बात करते थे। मोदी देश का बंटवारा चाहते हैं। अभी हम जिंदा हैं और ऐसा होने नहीं देंगे। मोदी सरकार रूपी लंका को भस्म कर दूंगा।'' उन्होंने मोदी का नाम लिये बगैर कहा, ''ये झांसा देने वाले राजा हैं। हमारे बाप-दादाओं को भी ये लोग गाली देते थे। समझ लो, मैं डरने वालों में से नहीं हूं।''

राजद सुप्रीमो ने उनसे जुड़े लोगों पर आयकर विभाग के हालिया छापेमारी पर कहा, ''छापा...छापा... छापा... छापा... किसका छापा? किसको छापा? छापा तो हम मारेंगे 2019 में। मैं दूसरों का हौसला डिगाता हूं, मेरा कौन डिगाएगा।'' एक अन्य ट्वीट में उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में कहा, ''अचक डोले... कचक डोले... खैरा-पीपल कभी ना डोले (मतलब मुझे कोई डिगा नहीं सकता) अंगद की तरह पैर गाड़ के खड़ा हूं। भाजपा को चैन से नहीं रहने दूंगा।''

गौरतलब है कि इससे पहले बिहार की राजनीति में हलचल मच गई थी जब लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया था कि बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर्स मुबारक हों। लालू झुकने और डरने वाला नहीं है। जब तक आखिरी सांस है फासीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इस ट्वीट के बाद लगा कि कहीं गठबंधन खतरे में तो नहीं है लेकिन इस ट्वीट के कुछ देर बाद ही लालू यादव ने अपने इसी ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि ज्यादा लार मत टपकाओ, गठबंधन अटूट है। अभी तो समान विचारधारा के और दलों को साथ जोड़ना है। मैं बीजेपी के सरकारी तंत्र और सरकारी सहयोगियों से नहीं डरता। लालू के नाम से कंपकंपी छूटती है। इनको पता है कि लालू इनके झूठ, लूट और जुमलों के कारोबार को ध्वस्त कर रहा है तो दबाव बनाओ।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, मजदूर कल्याण के 20 हजार करोड़ कहां गए ?

कहा, इसे चाय पार्टियों पर खर्च कर दिया या अधिकारियों की छुट्टियों पर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मजदूर कल्याण से संबंधित 20 हजार करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि कहां चली गई। इसे चाय पार्टियों पर खर्च कर दिया या अधिकारियों की छुट्टियों पर? अदालत ने आश्चर्य जताया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) तक को इस बारे में पता नहीं है।

शीर्ष अदालत गैर सरकारी संगठन नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। संगठन ने आरोप लगाया है कि निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए भूमि-भवन कंपनियों से मिलने वाले कर का उचित इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि लाभार्थियों की पहचान करने व उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कोई तंत्र नहीं है। अदालत की टिप्पणी तब आई जब इसने मामले में कैग द्वारा दायर हलफनामे और रिपोर्ट पर गौर किया। इसने तथ्यों को पूर्णतया आश्चर्यजनक करार दिया।

न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि यहां तक कि कैग को भी पता नहीं कि धन कहां है। यह लगभग 20 हजार करोड़ रुपए की राशि है। शीर्ष अदालत ने कैग से कहा कि यह धन कहां जा रहा है? क्या यह चाय पार्टियों या अधिकारियों की छुट्टी पर खर्च हो गया? आप इसका पता लगाएं। इसने कहा कि पहला कदम जो आवश्यक है, वह यह है कि प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र से 1996 में भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर कल्याण कर अधिनियम लागू होने के समय से इस साल 31 मार्च तक एकत्रित धन के बारे में जानकारी ली जाए।

पीठ ने कहा कि एकत्रित राशि की सूचना कैग कार्यालय को भेजी जाएगी। इसी तरह पिछले वर्षों में एकत्रित धन और भवन एवं अन्य संनिर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड को भेजी गई राशि के बारे में 31 मार्च 2017 तक की स्थिति के अनुसार कैग को सूचित किया जाना चाहिए। यदि कोई ऐसी राशि है जो एकत्र कर ली गई है, लेकिन बोर्ड को स्थानांतरित नहीं की गई है, तो वह छह हफ्ते के भीतर स्थानांतरित की जानी चाहिए और कैग को भी इसकी सूचना दी जानी चाहिए। पीठ ने अगली सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख निर्धारित करते हुए कैग से कहा कि वह अदालत के समक्ष ब्यौरा रखे।

सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूदा कैग के प्रधान कानूनी सलाहकार ने कहा कि धन राज्यों के पास है और भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर कल्याण बोर्डों के खातों के ऑडिट के लिए निर्देश दिया जा सकता है। इस पर पीठ ने कहा कि यदि उन्होंने चाय पार्टी पर धन खर्च कर दिया हो तब क्या? आप पता लगाएं, कितना स्थानांतरित (कल्याण बोर्डों को) किया गया और उन्होंने किस तरह खर्च किया है।

केन्द्र की ओर से अतिरिक्त महान्यायवादी मनिंदर सिंह ने शीर्ष अदालत को बताया कि राज्य समेकित खाता रखते हैं और यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि संबंधित कर से उन्हें कितनी राशि मिली। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्वेस ने पीठ से कहा कि इन कल्याण बोर्डों के खातों का ऑडिट करने का भी निर्देश दिया जाना चाहिए।

खतरनाक है मोबाइल फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल

नई दिल्ली। मोबाइल फोन पर अधिक बातचीत करने वालों को सचेत होने की जरूरत है। क्योंकि मोबाइल फोन के कारण मस्तिष्क कैंसर (ब्रेन ट्यूमर) का खतरा बढ़ रहा है। एम्स के डॉक्टरों द्वारा विदेश में हुए शोधों के समीक्षात्मक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से अल्पकालिक तौर पर ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा नहीं है, लेकिन 10 साल या उससे अधिक समय तक इसके इस्तेमाल से ब्रेन ट्यूमर का खतरा 1.33 गुना बढ़ जाता है। ऐसे में यह आने वाले समय में खबरे की घंटी हो सकती है।

एम्स का यह समीक्षात्मक अध्ययन अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल (न्यूरोलॉजिकल साइंस) में प्रकाशित हुआ है। एम्स के डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मोबाइल के इस्तेमाल से ब्रेन ट्यूमर होने के खतरे का पता लगाने के लिए अब तक जो भी शोध हुए हैं उनकी गुणवत्ता व नतीजे शोध का खर्च वहन करने वाले स्रोत से प्रभावित रहे हैं। मोबाइल कंपनियों के बजट से हुए शोधों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा नहीं होने का दावा किया गया है, जबकि सरकारी बजट से होने वाले शोध के नतीजे अलग कहानी बयां कर रहे हैं।

समीक्षात्मक अध्ययन में शामिल एम्स के एक डॉक्टर ने कहा कि मोबाइल फोन से निकलने वाले मैग्नेटिक रेडिएशन को कैंसर के कारकों में शामिल किया गया है। फिर भी विशेषज्ञों में इस बात पर विवाद है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से ब्रेन का कैंसर होता है या नहीं।

विदेश में हुए शोधों में यह कहा गया है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, जबकि कुछ शोधों में कहा गया है कि इसके इस्तेमाल से ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा रहता है। इस विवाद की वजह से ही यह समीक्षात्मक अध्ययन किया गया। एम्स के डॉक्टरों ने वर्ष 1996 से 2016 तक मोबाइल फोन के इस्तेमाल व ब्रेन ट्यूमर को लेकर किए गए सभी शोधों को खंगाला।

उनमें से विभिन्न देशों में हुए 22 शोधों का समीक्षात्मक अध्ययन किया। उन शोधों में 48452 लोग शामिल किए गए थे। इनमें 17321 मरीज और 31131 सामान्य लोग थे। इन सबकी उम्र 18 से 90 वर्ष के बीच थी। एम्स के डॉक्टरों ने उन शोधों की गुणवत्ता, बजट जारी करने वाले स्रोत व परिणामों का भी अध्ययन किया।

इस दौरान अध्ययन में यह पाया गया कि 22 में से 12 अध्ययनों में 10 साल या उससे अधिक समय तक मोबाइल फोन के इस्तेमाल से ब्रेन ट्यूमर के खतरे का सुबूत मिला। हालांकि, मोबाइल कंपनियों के खर्चे से हुए अध्ययनों में 10 साल से अधिक समय तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों पर उसके दुष्प्रभाव का आंकड़ा फिलहाल मौजूद नहीं है।

कानून मंत्री का कोलेजियम प्रणाली पर तल्ख प्रहार

नई दिल्ली। एक न्यायाधीश की चिकित्सकीय जांच कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यायपालिका की कोलेजियम प्रणाली पर कड़ा प्रहार किया है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस जज को इसी प्रक्रिया के जरिये चुना गया था।

रविशंकर प्रसाद ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस कर्नन का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र किया। कानून मंत्री ने जस्टिस कर्नन का हवाला देते हुए कहा कि एक भद्र पुरुष सभी गलत कारणों से खबरों में है। मैं समझता हूं कि उस जज का चिकित्सकीय इलाज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हुआ। वह भी इसी कोलेजियम प्रणाली का हिस्सा थे। प्रसाद ने कहा कि कोलेजियम प्रणाली से पहले भी अधिशासी अधिकारी जजों के चयन की प्रक्रिया में शामिल होते थे। उन्होंने पूछा कि आखिर देश का प्रधानमंत्री इतना विश्वास करने योग्य क्यों नहीं कि वह एक जज की नियुक्ति कर सके।

प्रसाद ने कहा कि वह बतौर कानून मंत्री अपनी राय जाहिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि जजों के चयन में सरकार की भूमिका से इनकार करके न्यायपालिका ने कार्यपालिका पर अविश्वास जताया है। लिहाजा यह एक गंभीर मामला है।

उन्होंने कहा कि 43 सालों तक कानून मंत्री भी जजों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाता रहा है। उसी दौरान देश को बेहतरीन जज जैसे जस्टिस विवियन बोस, हिदायतुल्ला, वेंकटचलैया, कृष्णा अय्यर, जे.एस. वर्मा और बहुत से न्यायाधीश चुने गए थे। प्रसाद ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि पुराने तरीके से चुने गए न्यायाधीशों में से एक वह भी थे जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज रहते हुए देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुनाया था।

दिल्ली के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने ''राष्ट्रवादी विचारधारा'' के प्रति रोष प्रकट किया

यदि कोई भी व्यक्ति सरकार को स्वीकार्य विचारधारा से भिन्न मत रखता है तो उसे राष्ट्रद्रोही बता दिया जाता है

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा का तेजी से विकास हो रहा है जिसमें यदि कोई व्यक्ति सरकार को स्वीकार्य दृष्टिकोण से भिन्न मत रखता है तो उसे राष्ट्रद्रोही करार दिया जाता है।

शाह ने उस राष्ट्रवादिता पर प्रश्न चिह्न लगाया जिसके अन्तर्गत सिनेमाहाल में राष्ट्रगान होने पर खड़ा होना अनिवार्य है, और जो यह निर्धारित करता है कि लोग क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, वो क्या देख सकते हैं और क्या नहीं और क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं। एक घंटे तक दिए गए लम्बे भाषण में राष्ट्रवादिता एवं राजद्रोह के विषय पर उन्होंने उन ताकतों के विरुद्ध भी बोला जो आपके अन्दर जबरदस्ती राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रवादिता की भावना पैदा करने का दुस्साहस करती है।

एम.एन. राय मेमोरियल भाषण में ''स्वतंत्र अभिव्यक्ति, राष्ट्रवादिता एवं राजद्रोह'' विषय पर बोलते हुए पूर्व न्यायाधीश ने वर्तमान में चल रही राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रख्यात चिंतक एवं राष्ट्रभक्त एम.एन. राय के उन विचारों के समान बताया जो उन्होंने 1942 में कहे थे कि ''एक संकुचित सोच वाला स्वार्थी एवं संकीर्णता वाले राष्ट्रवादी ने विश्व में बहुत ही दुर्भाग्य एवं दुःख फैलाया है। एक पागलपन और अतिकरी पूर्ण राष्ट्रवादिता का स्वरूप आजकल चारों तरफ व्याप्त है।''

दुर्भाग्यवश आज हमारी सिखाने वाली संस्थाओं पर प्रहार हो रहा है और किसी भी स्वतंत्र सोच को दबाया जा रहा है। अफसोस है कि आज इस मेरे प्यारे देश में यदि कोई भी व्यक्ति सरकार से भिन्न मत रखता है तो उसे राजद्रोही करार कर दिया जाता है।

इस ''राष्ट्रद्रोही'' पहचान का उपयोग असहमति एवं आलोचना की आवाज को दबाने के लिए उपयोग में लिया जाता है परन्तु ज्यादा चिन्ता इस बात की है कि इसका उपयोग राजद्रोह का आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए भी किया जा सकता है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिनेमाहॉलों में राष्ट्रगान के निर्णय से भी अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा, ''यह याद रखना चाहिए कि अधिकार में न तो बोलने या अभिव्यक्ति न करने का अधिकार भी शामिल है। परन्तु कानून की आड़ में न्यायालय ने दखल दिया और हमारे मूलभूत अधिकारों पर प्रतिबंध लगाये।''

उन्होंने असहमति को दबाने के खतरों के प्रति आगाह करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में नारे लगाना और झंडा फहराना ही राष्ट्रवादिता का प्रतीक बन गया है। ''हमने देखा कि 21 वर्ष की एक विश्वविद्यालय की छात्रा को केवल अपने विचार बेबाक रूप से प्रकट करने के कारण इंटरनेट पर कठोर घृणा, गालियों एवं धमकियों का सामना करना पड़ा।''

अपनी पृष्ठभूमि का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि उनके नाना जी 1940 के दशक में हिन्दू महासभा के अध्यक्ष थे। परन्तु शाह ने आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत द्वारा गौ हत्या के विरुद्ध कानून बनाने के आह्वान पर प्रश्नचिह्न लगाया। ''हमें किसी विचारधारा या जीने की शैली को सम्पूर्ण देश पर लागू करने से बचना चाहिए विशेषकर भारत जैसे विभिन्नताओं से भरे देश में। जहां केरल एवं उत्तरपूर्व के राज्यों में गौमांस को उनके भोजन का अभिन्न अंग समझा जाता है।''

शाह ने उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों पर हुई कार्यवाही की भी आलोचना की और कहा कि ''ये कार्यवाही मुख्यतया मुस्लिम कसाईयों पर की गई है जिससे न केवल लाखों लोग दहशत में हैं अपितु उनके पास कोई स्थाई रोजगार भी नहीं है।''

कार्यक्रम में विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान एवं सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान एवं पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर एवं विधि समुदाय की अन्य प्रमुख हस्तियां भी मौजूद थीं। बाद में बोलते हुए न्यायमूर्ति चेमलेश्वर ने शाह के विचारों से सहमति जताई परन्तु उन्होंने हंसते हुए यह भी कह दिया कि संवैधानिक बंधनों के कारण उनके पास शाह जितनी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है।

जस्टिस कर्नन ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की

याचिका में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोपी जस्टिस कर्णन ने अपनी जेल की सजा रोकने की राष्ट्रपति से अपील की है

नई दिल्ली। कोलकाता हाईकोर्ट के विवादास्पद न्यायाधीश सी.एस. कर्णन जो कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोपी हैं तथा शीर्षस्थ न्यायालय ने उन्हें 6 माह की जेल की सजा सुनाई है। कर्णन ने इस सजा पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के समक्ष दया याचिका दायर की है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें 9 मई को सजा दिये जाने के बाद से ही, गिरफ्तारी से बचने के लिये वे किसी अज्ञात स्थान पर छिप गये हैं। इस बीच उन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय में, सजा के फैसले पर पुनर्विचार करने की अर्जी भी लगाई, किन्तु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी पुनर्विचार याचिका की त्वरित सुनवाई के लिये किये गये तीन असफल प्रयासों बाद, उनके वकील मैथ्यूज जे नेदुम्पारा ने, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के सम्मुख अपनी दया याचिका पेश की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें न्याय प्रदान करने से इनकार कर दिया है।

याचिका में कहा गया है कि न्याय पवित्र है, यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है तथा जब सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें न्याय प्रदान करने से इनकार कर दिया है उसके पश्चात उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के समक्ष गुहार लगाई है।

याचिका में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता का प्रकरण अब एक ऐसे व्यक्ति का प्रकरण नहीं रहा, जिसे बिना किसी आरोप-पत्र, सुनवाई तथा किसी निर्णय के बिना ही, दोषी मान लिया गया तथा सजा दे दी गई, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का प्रकरण है जिसका संबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, न्यायालय की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के जरिये, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को पद से हटाने के अधिकार का उपयोग, इस बिन्दु पर बहस किये बिना ही कर लिया कि ऐसा करना, उसके अधिकार क्षेत्र में है भी या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन को अवमानना का दोषी ठहराने के बाद उन्हें छह माह की सजा देने के लिए सर्वोच्च अदालत के सात न्यायाधीशों ने विवेकपूर्ण निर्णय किया। प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सातों न्यायाधीश एक विवेकपूर्ण निर्णय करने के लिए एकत्र हुए। यह टिप्पणी प्रधान न्यायाधीश ने तब की जब वह तीन तलाक के मुद्दे पर सुनवाई कर रहे चार अन्य न्यायाधीशों के साथ बैठे थे।

दोपहर के भोजन के बाद तीन तलाक के मामले पर सुनवाई के लिए जब पीठ बैठा तब न्यायमूर्ति कर्णन की ओर से वकील मैथ्यू जे नेदुमपारा ने नौ मई का आदेश वापस लेने के लिए अपील का जिक्र किया। तब प्रधान न्यायाधीश ने वकील से कहा कि पीठ एक अलग मामले पर सुनवाई कर रही है और इसका जिक्र नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी बात उन्हें रजिस्ट्री के समक्ष रखनी चाहिए। न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर ने कहा कि हम अलग पीठ हैं। बहरहाल, वकील ने कहा कि मैं केवल प्रधान न्यायाधीश को सम्बोधित कर रहा हूं। और साथ ही कहा कि अपील न्यायमूर्ति कर्णन की सजा के निलम्बन से सम्बन्धित है।

इस पर प्रधान न्यायमूर्ति ने कहा कि आप हर बार यहां क्यों आ रहे हैं? जाइए और (याचिका की मूल प्रति) रजिस्ट्री को दीजिए। आप किसी भी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप केवल अपना डंडा यहां चला रहे हैं। यह यहां काम नहीं करता। इसके बाद वकील वापस चले गए और पीठ ने तीन तलाक पर भोजनावकाश के बाद सुनवाई बहाल कर दी। दिन भर की सुनवाई के बाद वकील ने पीठ का ध्यान आकर्षित करने की एक और कोशिश की। लेकिन पीठ उनकी ओर ध्यान दिए बगैर उठ गई। जिस समय पीठ भोजनावकाश के लिए उठने वाला था तब भी नेदुमपारा ने मामले का जिक्र किया। उन्होंने पीठ से कहा कि यह मामला सुनवाई के लिए कब सूचीबद्ध किया जाएगा। तब प्रधान न्यायमूर्ति ने कहा कि आपने कहा कि इसे (अपील को) रजिस्ट्री स्वीकार नहीं कर रही है। हमने इसे रजिस्ट्री में भेजा है।

सुप्रीम कोर्ट के...

(पृष्ठ एक का शेष)

दिये गये निर्णय के विरुद्ध थी। याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि हमें उपचारात्मक याचिका में कोई योग्यता नजर नहीं आती।

8 जुलाई 2016 के आदेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने एएफएसपीए क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को मुकदमों से प्राप्त छूट को वापस ले लिया था। केन्द्र सरकार ने कहा था कि यदि इस आदेश में दी गई स्थिति बरकरार रहती है तो एक दिन ऐसा आयेगा जब इन क्षेत्रों में शांति व सुरक्षा का वातावरण बनाये रखना संभव नहीं होगा।

'जुर्म साबित होने से पहले जुर्म के वाहन को सीज कर सकते हैं'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुर्म का मुकदमा अलग है और जुर्म में काम लिये गये वाहन का मामला अलग है

किसी आरोपी पर अपराध पूरी तरह सिद्ध हो जाने से पहले ही, क्या उस अपराध में काम आये वाहन को सरकार जब्त कर सकती है?

मध्य प्रदेश में सागवान की लकड़ी के अवैध परिवहन के केस में, सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त प्रश्न का उत्तर में हां कहा है। अदालत ने कहा है कि जब्ती तथा आपराधिक कानूनी प्रक्रिया के उद्देश्य अलग-अलग होते हैं।

सिओनी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जुलाई 2013 में उस ट्रैक्टर और ट्रॉली की जब्ती को रद्द कर दिया था, जिसमें आरोपी कथित रूप से अवैध रूप से लकड़ी ले जा रहे थे तथा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा था।

उस ट्रैक्टर-ट्रॉली को छोड़ देने के आदेश इस आधार पर दिये गये थे कि जब तक आरोपी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, जतब तक वाहन या जंगल उत्पाद (लकड़ी) जब्त नहीं की जा सकती। किन्तु न्यायमूर्ति एन.वी. रमन तथा प्रफुल्ल सी पंत की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस फैसले को उलट दिया तथा कहा कि जब्ती की कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही से अलग एवं स्वतंत्र है। इस फैसले की एक प्रति न्यायालय के वेबसाइट पर डाली गई है।

जिस कानून के अन्तर्गत, वाहन को जब्त किया गया था, उसका उल्लेख करते हुए, बैंच ने कहा कि अधिनियम में जब्ती के लिये स्वतंत्र प्रक्रिया बताई गई है। बैंच ने कहा कि पृथक प्रक्रिया निर्धारित किये जाने का उद्देश्य निवारक तंत्र कराना तथा भविष्य में वाहन के दुरुपयोग की संभावना को रोकना है।

अदालत ने कहा कि आपराधिक अभियोग प्रक्रिया, जब्ती की कार्यवाही से पृथक है क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं भिन्न किन्तु समानान्तर हैं तथा प्रत्येक का उद्देश्य अलग है। अदालत ने कहा कि जब्ती का उद्देश्य एवं अपराध करने में काम आये साधन को जब्त करने के सम्बन्ध में शीघ्र एवं प्रभावी निर्णय सुनिश्चित करना है, जबकि अभियोग चलाने का उद्देश्य अपराधी को सजा देना है।

'जेलों में तय क्षमता में कैदियों को रखने के संबंध में प्लान पेश करें'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि जेलकर्मियों की प्रस्तावित भर्ती को तीन माह में पूरा किया जाए। वहीं विभागीय जांच के मामलों को छह माह में निस्तारित किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने जेलों की बैरकों में तय क्षमता में कैदियों को रखने के सम्बन्ध में प्लान पेश करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश वी एस सिराधना की खंडपीठ ने यह आदेश जेल में कैदियों की हालतों पर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान प्रमुख वित्त सचिव, प्रमुख चिकित्सा सचिव, डीएलबी निदेशक, डीजी जेल और अतिरिक्त मुख्य सार्वजनिक निर्माण विभाग सचिव पेश हुए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि नौ में से चार केन्द्रीय कारागारों में पेयजल फिल्टर यूनिट लगी हुई है। इस पर अदालत ने कहा कि शेष केन्द्रीय कारागारों के लिए संबंधित डीजे पानी का नमूना लेकर प्रयोगशाला में गुणवत्ता की जांच कराएं। अदालत ने कहा कि जहां मनोचिकित्सक के लिए पद स्वीकृत हो गए हैं वहां पदों को भरा जाए। अदालत ने सभी जेलों में कैदियों के लिए लॉकर्स की उपलब्धता के लिए जेल प्रशासन से योजना पेश करने को कहा है। अदालत के पूछने पर डीएलबी निदेशक ने कहा कि जेल से पांच सौ मीटर की परिधि में आने वाले माबाइल टावर को एक माह में हटा दिया जाएगा।

जिन्हें हटाया नहीं जा सकेगा, उनका बिजली कनेक्शन बंद कर देंगे। चिकित्सा विभाग की ओर से कहा गया कि जेल में स्थाई डेंटल यूनिट लगाने में भारी खर्चा होगा। इसलिए सरकार मोबाइल डेंटल यूनिट खरीद रही है। जो समय-समय पर जेलों में जाएगी। अदालत ने मोबाइल यूनिट खर्चा अधिक होने का हवाला देते हुए कहा कि जेल में ही स्थाई यूनिट लगाई जाए।

अदालत ने कहा कि प्रयोगशाला सहायकों के पचास फीसदी खाली पदों के लिए पात्र उम्मीदवार नहीं मिलना बताया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट में भर्ती के दर्जनों मामले लंबित हैं। उपलब्ध सहायकों से साप्ताहिक रूप से काम लिया जाए। डीजी, जेल ने कहा कि दौसा और बीकानेर में नई जेलें बन रही हैं। जबकि जयपुर में नई जेल में कैदियों को शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा नए जेल नियमों के लिए बिस्सा कमेटी की सिफारिशों को विधि विभाग भेजा गया है। जहां दो माह में उन पर निर्णय हो जाएगा। इसके अलावा आईटीआई के ट्रेड बढ़ाने के लिए राशि स्वीकृत हो गई है। दो माह में दो नए ट्रेड आरंभ कर दिए जाएंगे।

इस पर खंडपीठ ने 16 बिन्दुओं पर सरकार को दिशा-निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 8 अगस्त को रखी है। न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने बताया कि जेल सुधार को लेकर गत वर्ष 27 जनवरी को 45 बिन्दुओं पर निर्देश दिए गए थे। इसमें से 16 प्रमुख बिन्दुओं पर अदालत ने गत 6 अप्रैल को आदेश जारी कर सरकार से पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

जेडीए के पूर्व चेयरमैन राजेन्द्र सोलंकी को जेल भेजा

जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस नेता राजेन्द्र सिंह सोलंकी को रिमांड अवधि खत्म होने पर वापस एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश हुए। एसीबी ने एक अन्य मामले में सोलंकी को वापस गिरफ्तार करने के लिए प्रोडक्शन वारंट पर सौंपने की अपील की है।

शहर की आदर्श कॉलोनी मानसागर स्थित सामुदायिक भवन निर्माण की दो निविदाएं जारी करने के मामले में जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह सोलंकी को रिमांड अवधि पूरी होने पर एसीबी ने अदालत में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश हुए।

इस पर एसीबी की तरफ से अदालत में उन्हें वापस दूसरे मामले में प्रोडक्शन वारंट पर सौंपने का प्रार्थना पत्र लगाया गया है। बताया गया है कि यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सोलंकी को मानसागर केस में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उन्हें जेल हो चुकी है। उनके खिलाफ 108, 109 और 111 नंबर की एफआईआर भी दर्ज है। इसलिए उनकी जांच में भी उनको गिरफ्तार किया जा रहा है।

वहीं सोलंकी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सोलंकी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने पर एसीबी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी जिसकी पहली सुनवाई में हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम स्थगन दिया गया था।

इसके बाद एसीबी ने सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद हुई सुनवाई के दौरान दूसरे आरोपी तत्कालीन डायरेक्टर के.के. माथुर के वकील ने बहस के लिए समय मांग लिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गत सोमवार की तारीख तय की थी।

कोर्ट में जेठमलानी ने बताया 'बदमाश' तो जेटली ने कहा, मानहानि की रकम बढ़ा दूंगा!

नई दिल्ली। अरुण जेटली बनाम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी और केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के वकीलों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई।

जेठमलानी ने लेख दिखाया

राम जेठमलानी ने अंग्रेजी दैनिक में लिखे अपने लेख को अरुण जेटली को दिखाया और पूछा कि क्या आपने इसे पढ़ा है। तो अरुण जेटली के वकीलों ने इस पर आपत्ति जताई। कई बार राम जेठमलानी ने यही सवाल पूछे और जेठमलानी ने बोला जेटली बदमाश है और मैं इसे साबित करूंगा। इस पर अरुण जेटली ने कहा क्या अरविंद केजरीवाल ने आपको अनुमति दी है ये शब्द कहने के लिए, अगर दी है तो मैं 10 करोड़ की मानहानि की राशि को बढ़ाने वाला हूं। इसके बाद जेटली ने कहा कि अपमान की एक सीमा होती है। जेठमलानी अपनी खुद की दुश्मनी निकाल रहे हैं। अगर इसी तरह के दुर्भावनापूर्ण सवाल पूछे जाएंगे तो मैं मानहानि की दस करोड़ की रकम बढ़ा सकता हूं।

जेठमलानी लगातार अपने सवालों में अरुण जेटली के लिए क्रुक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर जेटली और उनके वकीलों ने न केवल तीखी बहस की, बल्कि सख्त ऐतराज भी किया। जेटली ने कहा कि आप निजी जिंदगी को लेकर हमले कर रहे हैं ये ठीक नहीं है।

शशि थरूर ने की थी सबूतों के साथ छेड़छाड़

नई दिल्ली। एक समाचार चैनल ने सुनंदा पुष्कर की मौत को लेकर नया खुलासा किया है। दावा किया गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर कमरे में वापस आए थे, रिपब्लिक चैनल का दावा है कि उसके पास इस बात को सच साबित करने के लिए 19 ऑडियो रिकॉर्डिंग हैं जिनसे साफ हो गया है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर पुष्कर की मौत के बाद कमरे में वापस आए थे।

चैनल ने दावा किया कि शशि थरूर के कमरे में आने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी। यहां तक कि सुनंदा पुष्कर की लाश को भी हटाया गया था। दावा किया है कि इन रिकॉर्डिंग को पहले कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। चैनल का दावा है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि सुनंदा पुष्कर की हत्या के बाद शशि थरूर रूम नंबर 309 में सुबह और शाम को वापस आए थे।

बता दें कि कांग्रेस लीडर शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में संदिग्ध रूप से मौत हो गई थी। सुनंदा की मौत के बाद से अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका कि उनकी मौत किन कारणों के चलते हुई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी जो अब तक बेनतीजा बनी हुई है। हालांकि कई महीने तक जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। हत्या की जांच अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई तक भी पहुंची लेकिन वहां से भी कुछ खास जानकारी निकलकर सामने नहीं आई।

खरी-खरी

'संवैधानिक पद' के बहाने संविधान की ही उपेक्षा

डॉ. मानचन्द खण्डेला 9462817770
E mail :
manchandkhandela.@gmail.com

'संवैधानिक पद' एक ऐसा शब्द है जिसका संदर्भ प्रत्यक्षत: भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है लेकिन व्यवहार में कुछ व्यक्तियों को इस शब्द से सम्बोधित कर अकारण ही बहुत अधिक उच्च स्तरीय अधिकारपूर्ण असामान्य गरिमापूर्ण तथा एक सीमा तक कानूनों एवं नियमों से ऊपर बना दिया गया है। जबकि संविधान के अनुसार भारतीय लोकतंत्र में सार्वभौमिकता तो मतदाता को याने आम जनता को मिली हुई है। इस संदर्भ में पहला प्रश्न तो यह ही उठता है कि भारत में तो सभी पद संविधानिक प्रावधानों, कानून एवं नियमों के अनुसार ही सृजित किये जाते हैं तो कोई पद असंवैधानिक या गैर संविधानिक हो ही कैसे सकता है? देश में इस बहाने से देश में कानून के सामने सब बराबर के आदर्श सिद्धान्त की सीधी धज्जियां उड़ाई जाती है। जो लोकतंत्र की आत्मा पर ही चोट करना है। सर्वोच्च न्यायालय के दबाव में लाल बत्ती समाप्ती का एलान कर केन्द्रीय सरकार वीआईपी संस्कृति की समाप्ति का दावा कर रही है तथा दूसरी ओर संवैधानिक पदों के बहाने से महा वीआईपी संस्कृति को पोषित कर रही है।

राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कल्याण सिंह पर बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरलीमनोहर जोशी एवं उमा भारती सहित अन्य पर अपराधिक षड़यंत्र रचने के आरोप में मुकदमा चलाने का आदेश दिया लेकिन राज्यपाल पद पर होने के कारण कल्याण सिंह पर यह मुकदमा नहीं चलेगा। बल्कि होना तो यह चाहिए था कि वे तुरन्त अपने पद से त्याग पत्र देते और मुकदमे का सामना कर बताते कि कानून के सामने सब बराबर हैं। दूसरी ओर दूसरी 'संवैधानिक संस्था' सर्वोच्च न्यायालय उन्हें पद त्याग करने का आदेश देने से पता नहीं क्या कन्नी काट कर लोकतंत्र के आदर्श सिद्धान्त की खिल्ली उड़ा रहा है। मतलब साफ है कि श्री सिंह को बचाना है तो केन्द्रीय सरकार उन्हें राज्यपाल बनाती रहेगी। चाहे उनके शरीर के प्राय: सभी अंग सामान्य रूप से काम करने की स्थिति में न हो। जबकि इसी फैसले के कारण सर्वोच्च संवैधानिक पद प्राप्ति के गंभीर प्रत्याशियों की प्रत्याशा पर पानी फेर दिया। तो क्या माना जाये कि 'संवैधानिक पद' वाले ही एक-दूसरे को फंसाने व बचाने के खेल में शामिल होने को मजबूर हैं। सर्वोच्च न्यायालय पता नहीं कस कुतर्क के आधार पर यह कह रहा है कि तीन तलाक मा मामला महत्वपूर्ण होने के कारण उसकी सुनवाई रोज छुट्टियों में भी होगी लेकिन समय के अभाव में हलाला व बहुपत्नि प्रथा पर सुनवाई बाद में होगी, जबकि हलाला जिसमें अपने तलाकशुदा पति के पास वापस जाने से पहले किसी अन्य व्यक्ति से संभोग करना आवश्यक होता है तो तीन तलाक से भी ज्यादा अपमानित करने वाला काम है। साथ ही हिन्दुओं की कई जातियों में प्रचलित बहु पत्नी प्रथा महिला को संभोग की वस्तु मानने का जघन्य अपराध है। इसी प्रकार हिन्दुओं में ही अधिकांश मामले मिलते हैं जिसमें पुरुष अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर बिना तलाक के ही किसी दूसरी औरत के साथ बिना विवाह किये रहने लगता है। पहली वास्तविक पत्नी को 'पति परमेश्वर' मानने की शिक्षा पूरा समाज देकर उसे उत्पीड़ित होते देखने में ही संस्कृति एवं धर्म की रक्षा करना समझता रहता है। इसके संबंध में संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय को स्व प्रसंज्ञान लेने की जरूरत महसूस नहीं होती है। मतलब स्पष्ट है कि उसे स्वतंत्रता के सात दशकों में पहली बार परिवर्तित राजनैतिक परिदृश्य में ही अब यह मुद्दा अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है। जबकि देश में अधिकांश लोगों की आस्था वाला राम मंदिर-बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा सात दशकों से लटकाये रखने में कुछ भी अफसोसजनक नहीं लगता है। इस संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय से पूछा जाना चाहिए कि आस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार तुम्हें दिया किसने है? न्यायालय के पास इस संबंध में मुद्दा वास्तव में संबंधित जमीन के स्वामित्व के निर्धारण करने का है। जो उससे 67 वर्षों में नहीं हुआ। इतना समय बेकार करने, देश को कई प्रकार से अकल्पनीय दंगे होने के बाद से कहना पड़ता है 'यह मेरे बस में नहीं है, आप न्यायालय से बाहर आपसी बातीचत से हल कर लो।' यह तो सीधे रूप से 'संवैधानिक संस्था' की संविधान को ही चुनौती देना सा है। ऐसी संवैधानिक संस्था का क्या किया जाये जो देश की बहुमत जनसंख्या की आस्था के मुद्दे को भी 67 साल में सुलटाने का साहस नहीं जुटा पाती है। दूसरी ओर वह महत्वपूर्ण बता कर किसी भी मामले को क्रम तोड़ कर सुन लेती है और फैसले को सुनाती नहीं है, जिन आदेशों से दूसरों को बांधती है उनसे स्वयं बंधती नहीं है। फिर भी अपनी महत्ता अकारण बनाये रखने के जुगाड़ करती रहती है।

इसके लिए सैंकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं। फिर भी यह उदाहरण ही पर्याप्त है कि पिछली बार जब सरकारी विज्ञापनों में फोटो लगाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया तो जिन लोगों की फोटो की छूट दी गई उनमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम भी था। जबकि मुख्य न्यायाधीश तो तटस्थ माना जाता है। वैसे अपनी फोटो देकर वे सरकार के छोटे-बड़े झूठे-सच्चे तथ्यों से अपनी सहमति बताते हैं। जबकि इन तथ्यों की झूठ को लेकर न्यायालय में मामले आते हैं। उस समय फोटो देने वाले न्यायाधीश के कारण न्यायपालिका का कुछ पक्षपाती होना स्वाभाविक हो ही जाता है। यह कैसी संवैधानिक संस्था हुई जो कुछ ही समय बाद इस फैसले में कुछ पक्षों को संतुष्ट करने के लिए परिवर्तन कर देती है।

एक और संवैधानिक संस्था राज्यपाल की है। जिस पर सामान्यत: पूरी तरह से असक्षम, शारीरिक रूप से निर्बल, जीवन में सक्रिय नहीं रह सकने, एक दल विशेष के निष्ठावान रहे व्यक्ति को ही 'फिट' किया जाता है। जो एक तरह से अनुगृहीत करने, 'बला टालने', पुरस्कृत करने, राजनीति खेलने जैसा ही होता है। वैसे तो राज्य सरकार इनके नाम से शासन चलाती है लेकिन वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है। यहां तक कि उसे अभिभाषण में वह सब कुछ पढ़ना पड़ता है जिसका वह जिंदगी भर विरोध करता रहा और इसका विपरीत भी। इस भाषण में वह अंश मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, कुलाधिपति होते हुए भी कुलपति की संगीन शिकायत भी जांच के लिये उसी के पास भेजने को बाध्य होता है। उसे हर बात में प्लीज ही होना होता है चाहे काम किसी को कितना ही बुरा लगे। वह 'गैर राजनीतिक' व्यक्ति होने का नाटक करने को मजबूर होता है। तब ही तो कई अवसरों पर राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल बनाये तथा राज्यपाल को दल विशेष के चुनाव के समय मुख्यमंत्री का प्रत्याशी तक बना दिया जाता है। यह तो कृत्रिमता की पराकाष्ठा है। जीवन के अंतिम पड़ाव में कुछ सुख-सुविधाओं के लिए इस संवैधानिक पद को विधानसभा में अकल्पनीय किस्म के अपमान सहन करने पड़ते हैं। जबकि सरकार के संचालन में इसका योगदान शून्य होता है। वर्तमान संदर्भ में दिल्ली के संवैधानिक पदाधिकारी उपराज्यपाल के साथ आम पार्टी ने जिस तरह का ओछा बरताव किया और उसने सहन किया, केन्द्रीय सरकार के इशारों पर न चाहते हुए कर्म किये, अपमानित करने वाले आरोपों को भुगता, प्रदर्शनों का सामना किया वह तो अकल्पनीय ही था। यह कैसा संवैधानिक पद है जिसका काम विरोध करना रह गया था। ऐसी इस संवैधानिक संस्था ने जन प्रतिनिधियों को उपेक्षित करने के अलावा क्या किया?

कहने को तो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक याने सबसे बड़ा मानवीय माना जाता ह लेकिन विधानसभा में उस पर कागज के गोले फैंकने, उसके सामने आकर हमला करने, हाथ से लेकर पेपर फाड़ देने, विरोध में नारे लगाने, पक्षपात लेने के ताने कसने, विधायकों के उपहास से तृप्त होने से उनके मान को कोई ठेस नहीं पहुंचती है। यहां तक कि इस संवैधानिक संस्था को दूसरी ऐसी ही संस्था याने हाई या सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके काम में सीधा हस्तक्षेप करने बल्कि आदेश तक दे दिये जाने से उनके सम्मान को पता नहीं क्यों ठेस नहीं पहुंचती है। यह कैसा विशेषाधिकार है कि राज्यपाल राष्ट्रगान में बदलाव तक की सार्वजनिक मांग करे तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। राष्ट्रगान के समय सावधान की मुद्रा में नहीं होने पर भी अन्यथा नहीं लिया जाता है, निर्बलता के कारण उनके भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। इस पद को जितना गरिमापूर्ण बताया जाता है व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। एक और संवैधानिक पद निर्वाचन आयोग की वर्तमान में जितनी छिछालेदार हो रही है और इसके सदस्य इसे जितना सहन करते हैं वह एक प्रकार का अपमान है। फिर भी इनके पद पर बने रहने का रहस्य समझ से परे है। प्राय: हर राजनैतिक दल हाल ही में हुए प्रत्येक चुनाव पर अंगुली उठा रहा है, ईवीएम पर सीधी शंका कर रहा है, उसे धृतराष्ट्र तक बताया जा रहा है। फिर भी वह इस बात पर अड़ा हुआ है कि पंचों का फैसला सिर माथे लेकिन नाला वहीं गिरेगा। याने चुनाव ईवीएम से ही होगा। ऐसा आखिर क्यों है? यह गहरा रहस्य बना हुआ है। जब संसार के 155 से अधिक देशों जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश भी शामिल हैं पर प्रलयकारी साइबर आक्रमण हो चुका है आयोग अज्ञात कारणों से इस यथार्थ को स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है।

लोकसभा और विधानसभा भी संवैधानिक पदधारी कहे जाते हैं। जो पद संभालने से पहले अपने दल विशेष से त्यागपत्र देता है लेकिन वह हर तरह से पार्टी सदस्य की तरह ही व्यवहार करता है, सामान्यत: अपने 'पूर्व दल' के नेताओं से हर मामले में 'सलाह' लेता है बल्कि नियंत्रण स्वीकार करता है, सदन में पक्षपात करने लग जाते हैं। उनका काम सदन में सदन में कमजोर दल या विधायिका सदस्य को संरक्षण देने का होता है लेकिन उसके ऐसे ही वर्ग पर अधिक होते हैं राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष मेघवाल द्वारा विपक्ष को इंगित कर यह कहना 'तुम मवाली किस्म के लोग हो' तो ऐसा ही संकेत देती है। पिछले सत्र में बिना विशेष बात के उन्होंने जिस प्रकार 14 विधायकों को एक ही साल की अवधि के लिए निलम्बित किया और फिर मुख्यमंत्री के 'आदेश' पर 12 कांग्रेसी विधायकों को कुछ ही घंटों बाद आदेश को निरस्त किया तथा सत्ताधारी दल की आंख की किरकिरी बने दो अन्य विधायकों संबंधी आदेश को निरस्त नहीं कर स्पष्टत: भेदभाव मुख्यमंत्री के दबाव में नहीं किया उससे अध्यक्ष पद की गरिमा तार-तार हुई है। ऐसा उदाहरण प्राय: हर राज्य एवं लोकसभा में या राज्यसभा में बारबार देखने को मिलते हैं।

स्पष्ट है कि 'संवैधानिक पद' की आड़ में सत्ता पक्ष अपने चहेतों को अनुगृहीत करता है, सक्रिय राजनीति से हटाने का प्रयास करता है, अपना आदेश मानने वालों को एडजेस्ट करता है, दल की या व्यक्ति की सेवा करने वालों का बुढ़ापा सुधारता है, चल रही सरकार को अस्थिर करता है, अपनी पसंद को थोपता है, अपने लिये संकट मोचक बनता है, अपने अपराधों को क्लीन चिट दिलवाता है, आवश्यकतानुसार फैसले करवाने तथा आम जनता के अधिकारों पर चोट पहुंचाने का काम करती है। ऐसे में लोकतंत्र में यह जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री वीआईपी की जगह माने। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण की बातें करते हैं तो उन्हें सेवैधानिक पदों के बहाने वीआईपी बने लोगों को भी सामान्य व्यक्ति की लाइन में लाना चाहिए।

इन्द्राणी मुखर्जी ने कार्ती को घूस दी थी वित्त मंत्रालय से काम निकलवाने के लिये?

नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया कंपनी में विदेशी निवेश में गड़बड़ी के संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम के पुत्र कार्ती चिदम्बरम के चेन्नई, मुम्बई, दिल्ली और गुड़गांव के 25 ठिकानों पर छापे मारे।

सीबीआई के संयुक्त निदेशक विनीत विनायक ने यहां मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि छापेमारी में हार्ड डिस्क, कागजात, ई-मेल और अन्य सामग्री जब्त की गई है जिनकी जांच चल रही है। जैसा कि विदित है आईएनएक्स मीडिया ग्रुप के प्रमुख इन्द्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी हैं। इन्द्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा हत्याकांड के मामले में जेल में है। विनायक ने बताया कि आईएनएक्स मीडिया कंपनी में विदेशी निवेश के लिए फोरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) में गलत जानकारी दी गई। कंपनी में मॉरिशस के रास्ते से 26 प्रतिशत निवेश किया गया था। इस निवेश को बोर्ड ने वर्ष 2007-08 में मंजूरी दी थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस अवधि में बोर्ड द्वारा मंजूर किए सभी विदेशी निवेशों की जांच होगी।

विनायक ने बताया कि छापेमारी के दौरान 3.5 करोड़ रुपए के बिल और 10 लाख रुपए के वाउचर मिले हैं। ये बिल और वाउचर एडवेंटेज स्ट्रेटेजिक कंसलटिंग प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान के लिए हैं। यह कंपनी कार्ति चिदम्बरम के एक निकट सहयोगी की है और दोनों कंपनियों में कई निदेशक समान हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जांच के दौरान सामने वाले सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। यह मामला आईएनएक्स मीडिया से जुड़ा है। मीडिया के फंड को एफआईपीबी के जरिये मंजूरी दी गई थी, उस दौरान पी. चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और कार्ति चिदम्बरम का नाम भी शामिल था। चेन्नई में पी. चिदम्बरम के घर समेत कई दफ्तरों में भी छापे मारे गये हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई दिल्ली मकें भी छापे मार सकती है। यूपीए सरकार के दौरान इस मामले की जांच रुक गई थी, जिसे अब दोबारा शुरू किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, 2008 में पीटर मुखर्जी की कंपनी आईएनएक्स मीडिया की ओर से कार्ति चिदम्बरम को पैसे दिये गये थे और उनकी कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग और उससे जुड़ी कंपनियों को शेयर अलॉट किए गए थे। पीटर मुखर्जी की आईएनएक्स मीडिया ने कैश में यह इंस्टालमेंट दिया था जो कई हिस्सों में दिया गया था। इस दौरान 60 लाख शेयर लंदन की एक कंपनी आर्टेविया लिमिटेड यूके लिमिटेड से कार्ति की कंपनी में ट्रांसफर किये गये थे। इससे पहले इनकम टैक्स ने रेड के दौरान कार्ति की कंपनी की हार्डडिस्क भी सीज की गई थी। जिसमें पाया गया था कि कार्ति की कंपनी को पैसा आईएनएक्स मीडिया की ओर से मिला था। जिसमें के पास इसके कागज मंजूरी के लिए आए तो उस दौरान पी. चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। 22 सितम्बर, 2008 को कार्ति की एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को आईएनएक्स मीडिया की ओर से 35 लाख रुपए मिले थे, इस कंपनी ने उस दौरान 220 मिलियन डॉलर के निवेश की मंजूरी के लिए आवेदन दिया था, ठीक उसी दिन मीडिया ने नॉर्थ स्टार ऑफटवेयर ऑब्यूशन को 60 लाख रुपये दिये थे।

'फोन टेप और ब्लेकमेल करना मायावती ने ही सिखाया है'

बसपा से निष्कासित नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर और भी गंभीर आरोप लगाये

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती के आरोपों का जवाब देते हुए पार्टी से निष्कासित नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि फोन टेप और ब्लैकमेल करना मायावती ने ही सिखाया है और अब वह उनके दांव को उन्हीं पर लगा रहे हैं।

बसपा से निकाले गये पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्दीकी ने दूसरे दिन लगातार मायावती और पार्टी महासचिव सतीश चन्द्र मिश्र पर गंभीर आरोप लगाये। उन्होंने पत्रकारों को एक टेप भी सुनाया जिसमें उन्हें चन्दे की रसीदें मय पैसे सहित जमा करने की बात कही गई थी।

मायावती ने उन पर फोन टेप करने का आरोप लगाते हुए ब्लैकमेलर करार दिया था। उन्होंने कहा कि बसपा अध्यक्ष ने कांशीराम के किशन को रसातल में पहुंचा दिया है। मिशन को चलाने वाले हजारों लोगों को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया और स्वामी प्रसाद मौर्य तथा बृजेश पाठक समेत कई लोग प्रताड़ित होकर खुद ही पार्टी से निकल गये।

उन्होंने चुटकी ली कि मायावती द्वारा सिखाया गया फोन टेपिंग उन्हें के ऊपर इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने यह सब अपने बीबी-बच्चों और खुद को बचाने के लिए किया।

मायावती मेरी और मेरी बीबी बच्चों की संपत्ति छीनकर उन्हें अपनी आदत के अनुसार जेल भेजना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मायावती से बड़ा कोई ब्लैकमेलर पूरी दुनिया में नहीं देखा। अपनी जान का खतरा बताते हुए सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई।

नसीमुद्दीन ने कहा कि जब मुझे पार्टी से निकाला तो न मुझ पर सदस्यता का पैसा खाने का आरोप लगाया, और न तो टेपिंग ब्लैकमेल का। उसी टेप में जब मैंने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है तो मायावती ने कहा कि आप की बात अलहदा है। उनका कहना था कि कल पहली बार मीडिया के साथ मायावती बड़ी शालीनता से बात करती दिखाई पड़ी। वरना प्रेस कांफ्रेंस बीच में छोड़ कर चली जाती थीं।

कांशीराम का नाम लेकर कह रही थीं कि बसपा संस्थापक ने कहा था कि नसीम ठीक आदमी नहीं है। तो फिर मुझे लगातार आगे क्यों बढ़ाती गई। सच यह है कि जिस व्यक्ति को कांशीराम ने कहा था ये आदमी मिशन को बर्बाद कर देगा उन सतीश चन्द्र मिश्रा की तारीफ में तो कल मायावती कसीदे पढ़ रही थीं।

कांग्रेस का आरोप-सीबीआइ का छापा राजनीतिक बदला

नई दिल्ली। कांग्रेस ने पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी. चिदम्बरम समेत विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीइआई छापे को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान से लेकर ललित मोदी केस में वसुंधरा राजे के खिलाफ कार्रवाई नहरीं होना और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना सरकार के बदले की भावना को साफ जाहिर करती है। जबकि चिदम्बरम ने कहा कि सरकार के खिलाफ मेरी मुखर आवाज को दबाने के लिए राजग सरकार सीबीआइ और दूसरी एजेंसियों के जरिये मेरे बेटे को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि अपनी एजेंसियों के जरिये मेरी आवाज बंद करने की सरकार की कोशिशों के आगे मैं किसी भी तरह नहीं झुकूंगा।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि विपक्षी नेताओं पर सीबीआइ से लेकर आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई तो हो रही है। मगर प्रधानमंत्री इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि व्यापम जैसे गंभीर घोटाले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शामिल होने के बाद भी उनके खिलाफ जांच या छापे क्यों नहीं डाले गए? इसी तरह भगोड़े ललित मोदी के पक्ष में हलफनामा देने वाली राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को भगाने में मदद की। वहीं, गुजरात गैस लिमिटेड के 20 हजार करोड़ के घोटाले पर भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के सवालों पर चुप्पी साध रखी है। उनके मुताबिक, सरकारी खजाने को 9,500 करोड़ की चपत लगाकर भगाने वाले विजय माल्या की मदद किसने की, इस पर प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सुरजेवाला ने कहा कि इससे साफ है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश के तहत कार्रवाई की जा रही है और कांग्रेस पूरी तरह अपने नेता चिदम्बरम के साथ खड़ी रहेगी। चिदंबरम ने भी सीबीआई छापे के बाद जारी अपने बयान में कहा कि एयरसेल-मैक्सिस डील को एफआइपीबी ने नियमों के हिसाब से मंजूरी दी। इसमें भारत सरकार के पांच सचिव शामिल होते हैं। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि ये पांचों अधिकारी, एफाआइपीबी सचिवालय के अधिकारी सभी जनसेवक की श्रेणी में आते हैं। मगर इनमें से किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है और केवल मुझे निशाना बनाया गया है। चिदम्बरम ने कहा कि इससे साफ है कि सरकार सीबीआइ का इस्तेमाल मेरे बेटे और उसके मित्रों के खिलाफ कर रही है। उन्होंकेने कहा कि सरकार की मंशा पत्रकारों और दूसरे विपक्षी नेताओं की तरह इन हथकंडों के जरिये मेरी आवाज को बंद करने की है। मगर मैं इसका मुकाबला करते हुए झुकूंगा नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ अपनी लेखनी जारी रखूंगा।

अरुण जेटली बनाम जेठमलानी

जेठमलानी को कोर्ट ने चेताया

वित्त मंत्री को क्रूक कहने पर रजिस्ट्रार का दखल, मानहानि मामले में तीखी नोक-झोंक

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य आप नेताओं पर दायर 10 करोड़ के सिविल मानहानि मामले में बुधवार को हाई कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों में करीब एक घंटे तक तीखी नोक-झोंक हुई। मुख्यमंत्री की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के जेटली को शातिर (क्रूक) कहने पर कोर्ट रूम में जमकर हंगामा हुआ। कई बार संयुक्त रजिस्ट्रार को दोनों पक्षों को वकीलों को शांत करवाना पड़ा। यहां तक कि रजिस्ट्रार ने वयोवृद्ध अधिवक्ता को भी बहस में सही शब्दों का चयन करने की ताकीद की और यहां तक कह दिया कि वह ऑर्डर में उनके कहे शब्दों का उल्लेख कर रही हैं। जेठमलानी चाहें तो इसे चुनौती दे सकते हैं।

दोपहर करीब 2 बजे संयुक्त रजिस्ट्रार दीपाली शर्मा के समक्ष मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते ही जेठमलानी ने जेटली से कहा कि आपके खिलाफ एक लेख इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ। क्या आपने इसे पढ़ा। जेठमलानी ने जेटली पर आरोप लगाया कि आपने उक्त लेख संडे गार्जियन में प्रकाशित होने से रोका। आपका इस पर क्या कहना है। इस पर जेटली की तरफ से अधिवक्ता राजीव नायर व संदीप सेठी ने इस प्रश्न पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसका केस से कोई लेना-देना नहीं है। जेठमलानी ने वकीलों से कहा कि केस का मतलब है जेटली की कोई प्रतिष्ठा नहीं, वह साबित करेंगे। जेटली के वकीलों ने इस पर कड़ा विरोध जताया और चेतावनी दी कि वह उनका अनादर न करें। जेठमलानी ने कई बार यह प्रश्न पूछा और बार-बार जेटली के वकीलों ने इसका विरोध किया। जेटली ने जवाब दिया कि मैं कुछ प्रमुख समाचार पत्रों को पढ़ता हूं। बड़ी संख्या में अखबारों में मेरे खिलाफ छपता है, यह जरूरी नहीं कि वह मेरी जानकारी में हो।

सुनवाई के दौरान एक बार ऐसा मौका आया जब जेठमलानी ने कहा कि जेटली बड़े शातिर (क्रूक) हैं। इस पर अरुण जेटली ने कहा, क्या ये शब्द प्रयोग करने के लिए मुख्यमंत्री ने आपको अनुमति दी है। अगर हां तो मैं 10 करोड़ की मानहानि की राशि को बढ़ाने वाला हूं। जेटली ने कहा कि अपमान की एक सीमा होती है। जेठमलानी अपनी खुद की दुश्मनी निकाल रहे हैं। जेटली ने कहा कि आप निजी जिन्दगी को लेकर हमले कर रहे हैं ये ठीक नहीं। जेठमलानी निजी स्वार्थ के चलते यह सब कर रहे हैं उन्हें केस से अपना नाम वकील के रूप से वापस लेना चाहिए। जेटली के वकीलों ने कहा कि केस के हिसाब से यह प्रासंगिक नहीं। उनका कहना था कि केस जेटली व मुख्यमंत्री के खिलाफ है भाजपा, या फिर जेठमलानी व जेटली के खिलाफ नहीं।

इसके बाद जेठमलानी ने माना कि वह यह सब अपने मुवक्किल (मुख्यमंत्री) की हिदायत पर ही बोल रहे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री की तरफ से पेश एक अन्य वकील ने इस पर अनभिज्ञता जताई। फिर जेठमलानी ने कहा कि मैं अपने मुवक्किल से अपनी मर्जी से मिल रहा हूं। मैं उनसे केस समझने के लिए मिलता हूं। जेठमलानी ने कोर्ट में ये भी कहा कि काला धन लाने में मैंने जितनी लड़ाई लड़ी अरुण जेटली ने उस पर पानी फेर दिया। मैं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक गया। भाजपा ने काला धन विदेशों से वापस लाने के नाम पर चुनाव जीता, लेकिन किया कुछ नहीं।

इस पर जेटली के वकीलों ने कहा कि यह सब तर्क बेतुके व अपमानजनक हैं। वहीं, कोर्ट ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों व भाजपा संबंधी बातों पर कहा कि यह केस से संबंधित नहीं है। गत 15 मई को भी यह सवाल खारिज कर दिए गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से मौजूद एक अन्य अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई किसी दूसरे दिन करने का आग्रह किया। फिर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 28 व 31 जुलाई की तारीख तय कर दी। इस बीच दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल राहुल मेहरा ने जेटली के वकीलों पर जेठमलानी को घेरने का आरोप लगाया। जिस पर जेटली के वकीलों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की।

पेश मामले में जेटली ने मुख्यमंत्री के अलावा आप नेता राहुल चड्ढा, संजय सिंह, आशुतोष, कुमार विश्वास और दीपक वाजपेयी समेत छह लोगों के खिलाफ यह मामला दायर किया है। आरोप है कि इन सभी ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) विवाद में उन्हें बदनाम किया है। उनके खिलाफ अपपत्तिजनक बयानबाजी की है। जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

तीन तलाक पर 'सुप्रीम' सुनवाई पूरी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं से जुड़े तीन तलाक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने स्वीकार किया है कि वह सभी काजियों को यह परामर्श जारी करेगा कि तीन तलाक पर न केवल महिलाओं की राय ली जाये बल्कि उसे निकाहनामे में भी शामिल किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश जे.एस. केहर की पांच सदस्यीय खंडपीठ ने 11 मई से तीन तलाक पर रोजाना सुनवाई मुकर्रर की थी। यह सुनवाई 19 मई तक लगातार की जानी थी, लेकिन सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो जाने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सरकार ने पीठ के समक्ष कहा था कि यदि शीर्ष न्यायालय तीन तलाक को अवैध करार देता है तो सरकार तीन तलाक और बहुविवाह के नियमन के लिये कानून बनाने को तैयार है।

बोर्ड की तरफ से सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तीन तलाक को आस्था से जुड़ा मसला बताया था। पीठ ने बोर्ड से सवाल किया था कि निकाह के वक्त निकाहनामा में महिला को तीन तलाक नकारने का विकल्प दिया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने सिब्बल से यह सवाल किया था कि क्या यह हो सकता है कि किसी महिला को निकाह के वक्त यह अधिकार दिया जाये कि वह तीन तलाक को स्वीकार नहीं करेगी। शीर्ष न्यायालय ने बोर्ड से यह भी जानना चाहा था कि क्या वह सभी काजियों को ऐसा निर्देश जारी कर सकता है कि निकाहनामा में तीन तलाक पर महिला की राय को भी शामिल किया जाए। पीठ के इस सवाल पर सिब्बल ने कहा था कि बोर्ड के सभी सदस्यों से विचार-विमर्श के बाद ही इसका जवाब दिया जा सकता है। सिब्बल ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि बोर्ड काजियों को परामर्श जारी करने को तैयार है लेकिन शीर्ष न्यायालय को इस रिवाज की वैधता जानने में नहीं पड़ना चाहिए। उनका कहना था कि किसी समुदाय विशेष के रीति-रिवाजों की वैधता बहुत नाजुक मसला है और न्यायालय को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। सिब्बल की इस दलील पर पीठ का कहना था कि एक रीति जो धर्मशास्त्र के हिसाब से पाप है उसे आखिर किस तरह से समुदाय के रीति-रिवाजों का अंग माना जा सकता है।

इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता सायरा बानू के वकील की दलील थी कि उनकी नजर में तीन तलाक पाप है। पिछले सप्ताह हुई सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बोर्ड की नजर में तलाक एक घिनौना लेकिन वैध रिवाज है। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी ने भी तीन तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समानता के अधिकारों का उल्लंघन बताया था। जेठमलानी ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 सभी नागरिकों को बराबरी का हक देते हैं और इनकी रोशनी में तीन तलाक असंवैधानिक है।

सुनवाई के दौरान सोमवार को अटॉर्नी जनरल ने पीठ से अनुरोध किया था कि बहुविवाह, निकाह और हलाला की भी समीक्षा की जानी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा था कि इसकी भी समीक्षा होगी लेकिन अभी समय सीमित है और तीनों मामलों की बाद में समीक्षा की जायेगी।

आपको बर्खास्त करने को लिखा है : वकील

ऐसा आचरण कोर्ट की अवमानना : जज

जयपुर। नशे में तेज कार चलाकर तीन लोगों को कुचलने वाले विधायक पुत्र सिद्धार्थ महरिया और उसके अधिवक्ता के व्यवहार को न्यायाधीश ने न्यायालय की अवमानना माना। दरअसल इस मामले से जुड़ी पुलिस कमिश्नर की निगरानी याचिका पर महरिया के वकील ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया। जिसमें न्यायालय पर कई आरोप लगाए गए। बहस के दौरान भी अधिवक्ता ने बार-बार आरोप दोहराए गए। इस पर कोर्ट ने पांच पन्नों में विस्तार से कार्यवाही लिखते हुए कंटेम्पट ऑफ कोर्ट लेने की मंशा जताई गई।

सिद्धार्थ महरिया द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने सहित अन्य आरोप लगाते हुए महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिस पर एमएम न्यायालय ने पुलिस कमिश्नर सहित कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया। जिसके खिलाफ कमिश्नर ने निगरानी याचिका लगाई। जिस पर एडीजे न्यायालय संख्या 15 में महरिया के अधिवक्ता गोरधन सिंह ने सुनवाई नहीं कर अगली तारीख देने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें लिखा कि महरिया से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान आप (जज) द्वारा अवैध कार्यवाही और टिप्पणियां करने के संबंध में आप श्रीमान (जज) को बर्खास्त करने के लिए गैर निगरानीकर (महरिया) द्वारा रजिस्ट्रार विजिलेंस और मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट को लिखित शिकायत भेजी गई है। साथ ही कई आरोप लगाते हुए लिखा कि मुकदमों के स्थानांतरण के लिए जिला न्यायाधीश को पत्र पेश कर रखा है। ऐसे में आगामी तारीख दे कर, आपके खिलाफ जांच में सहयोग करते हुए खुद की तरफ से मुकदमे स्थानांतरित करने के लिए उचित स्थान पर लिखने का कष्ट करें।

न्यायाधीश बरकत अली ने इस प्रार्थना पत्र की नकल कमिश्नर के अधिवक्ता और सरकारी वकील को दी। कमिश्नर के वकील ने इस पर आपत्ति जताते हुए कंटेम्पट की कार्रवाई करने का अनुरोध किया। न्यायाधीश ने लिखा कि बहस के दौरान भी अधिवक्ता गोरधन सिंह ने मेरे खिलाफ अशोभनीय अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए आरोपों को खुले न्यायालय में जोर-जोर से बार-बार दोहराया गया। जिससे न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्य स्वयंमेव न्यायालय की अवमानना के समकक्ष हैं। सिद्धार्थ और उसके अधिवक्ता गोरधन सिंह के खिलाफ न्यायालय अवमानना के संबंध में उचित प्रक्रम पर विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अगली सुनवाई तक जिला न्यायाधीश का स्टे आदेश पेश करे अन्यथा 29 मई को बहस करें।

राजस्थान, महाराष्ट्र व तमिलनाडु के प्राइवेट क्लब सुप्रीम कोर्ट के द्वार पहुंचे

इन क्लबों ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में राहत मांगी, जिसके तहत हाइवे से 500 मीटर तक की दूरी तक शराब की बिक्री निषेध की गई है

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तमिलनाडु के उन क्लबों द्वारा दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई किये जाने के लिये सहमति प्रदान कर दी है जिनमें न्यायालय द्वारा 1 अप्रैल से राजमार्गों के 500 मीटर के अंदर शराब की बिक्री पर लगायी गयी रोक से छूट चाही गई है।

मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने इन याचिकाओं को पहले प्राप्त हुई याचिकाओं के साथ जोड़ दिया तथा कहा कि इनकी सुनवाई, बुधवार से शुरू हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश के समाप्त हो जाने के बाद, जुलाई के दूसरे सप्ताह में की जायेगी। ग्रीष्मावकाश के बाद, अदालतें 3 जुलाई को खुलेंगी।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली एक बैंच ने, चंडीगढ़ निवासी, हरनाम सिंह सिद्धू (46) के एनजीओ अराइव सेफ द्वारा दायर की गई एक याचिका की सुनवाई को भी जुलाई तक के लिये टाल दिया। ज्ञातव्य है कि अन्य याचिकाओं के साथ, हरनाम सिंह द्वारा दायर की गई याचिका पर फैसला सुनाते हुए, अदालत ने राष्ट्रीय एवं प्रांतीय राजमार्गों के आसपास शराब बिक्री पर रोक लगा दी थी।

15 दिसम्बर को जारी किये गये एक आदेश के माध्यम से, अदालत ने सम्पूर्ण देश में प्रांतीय एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी के अन्तर्गत शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 31 मार्च के आदेश में, 20,000 से कम आबादी वाली नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में इस दूरी को कम करके 220 मीटर कर दिया था, तथा इसके साथ ही सिक्किम एवं मेघालय को इस रोक से छूट दे दी थी।

क्लबों द्वारा दायर की गई याचिकाओं के साथ ही अरुणाचल प्रदेश सरकार की याचिका भी सुनवाई के लिये आ गई है। इसमें भी सिक्किम तथा मेघालय की तरह छूट चाही गई है तथा कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में, उन दोनों राज्यों से कहीं ज्यादा पहाड़ियां एवं जंगल हैं।

वरिष्ठ वकील यशांक प्रवीण अध्यारू, जो महाराष्ट्र के कुछ क्लबों की ओर से अपस्थित हुए थे, ने अदालत से कहा कि क्लबों में केवल उनके सदस्यों को शराब परोसी जाती है, बाहरी लोगों को नहीं। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह अपने आदेश में किंचित परिवर्तन करके क्लबों को अपने सदस्यों को शराब परोसने की स्वीकृति प्रदान कर दे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि हर ऐरा गैरा नत्थूखैरा क्लब में प्रवेश पा जाता हो। शराब केवल (क्लब) के सदस्यों को ही परोसी जाती है, बाहरी लोगों को नहीं।

एक अन्य वरिष्ठ वकील, अरविन्द दातार, जो तमिलनाडु के फैडरेशन ऑफ क्लब्स एंड रेस्तोराज की ओर से उपस्थित हुए थे, ने कहा कि शराबबंदी के कारण, कॉर्पोरेट कांफ्रेंसेज बड़ी संख्या में बैंकांक तथा अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित की जा रही हैं।

दातार ने यह भी कहा कि लोगों ने राज्य के दो दर्जन से अधिक क्लबों में सदस्यता शुल्क के रूप में 3 से 5 लाख रुपए तक की राशि दी है, तथा इस आधार पर उन्हें शराब परोसी जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शराब की बिक्री पर लगी इस रोक ने हजारों लोगों की सदस्यता को व्यर्थ कर दिया है।

अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तुत हुए, वरिष्ठ वकील राजीव दत्त ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि अरुणाचल प्रदेश को इस आदेश से छूट दे दी जाए। उन्होंने कहा कि हमारे यहां बड़ी संख्या में पहाडियां एवं जंगल हैं। सच तो यह है कि हमारे राज्य के 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से में जंगल, पहाड़ियां एवं घाटियां हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट को मिले पांच नए अपर न्यायाधीश

जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट को पांच नए अपर न्यायाधीश मिले। सुबह साढ़े सात बजे खचाखच भरे मुख्य न्यायाधीश कक्ष में सीजे प्रदीप नन्द्राजोग ने जयपुर के वकील अशोक कुमार गौड, जोधपुर के वकील मनोज कुमार गर्ग, जयपुर के ही एक अन्य वकील इन्द्रजीत सिंह सहित दो सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण डॉ. वी.के. माथुर व रामचन्द्र सिंह झाला को अपर न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही हाईकोर्ट में जजों की संख्या 39 हो गई। राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत 50 जजों के मुकाबले अभी भी 11 जजों के पद खाली हैं। जबकि इसी माह के अंत में दो जज सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

मुख्य न्यायाधीश कक्ष में सुबह सात बजे से ही अधिवक्ताओं व नव नियुक्त जजों के परिजनों का आगमन शुरू हो गया था। ठीक साढ़े सात बजे मुख्य न्यायाधीश नन्द्राजोग अन्यय न्यायाधीशगणों के साथ डायर पर प्रवेश किया। उनके साथ ही नव नियुक्त अपर न्यायाधीशगण भी थे जिनको दूसरी पंक्ति में बिठाया गया था। सीजे के पास एक आसन रिक्त रखा गया। जिस पर क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक पांचों नव नियुक्त न्यायाधीश आकर बैठे और वारंट के पठन के बाद शपथ ली। आरंभ में प्रत्येक न्यायाधीश के शपथ लेने से पहले रजिस्ट्रार जनरल सतीश शर्मा ने उनके बारे में भारत के राष्ट्रपति व राजस्थान के राज्यपाल की ओर से जारी उनकी नियुक्ति से संबंधित वारंट पढ़ कर सुनाया। करीब 18 मिनट में शपथ ग्रहण की औपचारिकता पूरी हो गई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश कक्ष के वैल सहित दोनों ओर की गैलरीज में भी तिल धरने को जगह नहीं बची थी। अधिक भीड़ के मद्देनजर बाहर कोरीडोर में स्क्रीन भी लगाए गए थे। मुख्य न्यायाधीश कक्ष में कई मीडियाकर्मियों ने गैलरी में रखी गई कुर्सियों पर चढ़कर शपथ का कवरेज किया।

पांच खंडपीठों में बैठे नवनियुक्त न्यायाधीश

शपथ ग्रहण के बाद में कोर्ट संख्या एक में सीजे प्रदीप नन्द्राजोग के साथ न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने कोर्ट संख्या दो में वरिष्ठ न्यायाधीश गोविंद माथुर के साथ न्यायाधीश मनोज गर्ग ने कोर्ट संख्या 3 में वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास के साथ न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने कोर्ट संख्या 16 में वरिष्ठ न्यायाधीश महेश चन्द्र शर्मा के साथ न्यायाधीश डॉ. वी.के. माथुर ने व कोर्ट संख्या 4 में न्यायाधीश संगीत लोढ़ा के साथ नवनियुक्त न्यायाधीश रामचन्द्र सिंह झाला ने खंडपीठ में सुनवाई की।

राजस्थान प्रदेश सर्वोदय मंडल

(सर्व सेवा संघ, सेवाग्राम की प्रादेशिक इकाई)

141, बक्तावरमल जी का बाग, चौपासनी रोड, जोधपुर (राज.)

दिनांक 14.04.2017

आदरणीय
श्री रामदयाल जी खण्डेलवाल
लोक सेवक
48, सचिवालय कॉलोनी
बरकत नगर, जयपुर

सादर जय जगत।

आप सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। 23-25 मार्च 2017 को मोतीहारी (गांधीधाम) में आयोजित चम्पारण शताब्दी समारोह में अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ द्वारा आपको सम्मानित किया गया है उससे राजसथान प्रदेश सर्वोदय मंडल गौरवान्वित हुआ है आपका मार्गदर्शन प्रदेश सर्वोदय मंडल को अब तक मिलता रहा है वही परम्परा आगे भी अनवरत चलती रहेगी।

देश की बदलती हुई परिस्थितियों में भावी पीढ़ी को आप जैसे कर्मनिष्ठ, गांधी विचारक चिन्तक तथा सर्व सेवा संघ प्रणीत सर्वोदय जीवन दर्शन को आत्मसात करने में सम्बल व मार्गदर्शन मिलता रहा है। अपनी ओजस्वी वाणी तथा प्रभावी लेखन समाज को सही दिशा-निर्देश देता रहे।

यही प्रदेश सर्वोदय मण्डल कामना करता है।

सादर
आशा बोथरा
अध्यक्ष
प्रदेश सर्वोदय मंडल

पाक्षिक न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

परामर्श मण्डल न्यायिक ज्वाला

1. श्री जे.पी. बंसल — सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2. श्री दामोदर मिश्रा — सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3. श्री वी.के. अग्रवाल — सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4. श्री डॉ.पी.एन. रछोया — सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5. डा. मोहिनी शर्मा — एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6. श्री रामदयाल खंडेलवाल — संस्थानिक प्रतिनिधि
7. श्री विष्णुकांत शर्मा — एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। Website : www.nyayikjwala.org.
ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।